

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

परशुराम धानका

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

16.09.2022

मिसल नम्बर

09/2013/प्रा.पत्र/2013

तारीख दायरा

21.06.2013

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1-विक्रेता श्री सन्दीप गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता उम्र 40 वर्ष जाति महाजन निवासी
चौधरियों का मौहल्ला उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक प्रोपराईटर मैसर्स उनियारा
केन्टीन बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक
2-मैसर्स उनियारा केन्टीन बस स्टैण्ड उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप
धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार उप.।

2-अभिभाषक अप्रार्थीगण उप.।

:निर्णय:-

दिनांक 16.09.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 12.11.2012 को समय 12:30 पीएम पर मैसर्स उनियारा केन्टीन बस स्टैण्ड उनियारा
जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर विक्रेता श्री सन्दीप गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता मिला, को
अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सन्दीप गुप्ता ने स्वयं को प्रतिष्ठान
का एकमात्र मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा
प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया
कि आम जनता को विक्रय करने हेतु एल्युमिनियम की ट्रे में लगभग 30 किलो मावा बर्फी रखी
हुई थी, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री
सन्दीप गुप्ता को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर
प्रतियों में एफ.बी.ओ. श्री सन्दीप गुप्ता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं
हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता
को बताकर कि यह मावा बर्फी वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है,
दो किलो खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।



1989

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मावा बर्फी को चार बराबर भागों में विभाजित कर अलग-अलग चार कांच की शिशियों में भरकर प्रत्येक शीशी में 40 प्रतिशत ग्लोसिन की 40-40 बून्दे डालकर ढक्कन से अच्छी तरह एयर टाईट बन्द किया, एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-438 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-438 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोकें पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जापते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।


आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./12/4368 दिनांक 26.12.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./945/एफएसएसए/2012/852 दिनांक 29.11.2012 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया मावा बर्फी खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फार्मी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 14.10.2016 को श्री विक्रम जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब पेश करने हेतु समय चाहा परन्तु जवाब हेतु कई अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया। आज अभिभाषक उपस्थित हुए एवं जवाब पेश न कर बहस हेतु निवेदन किया। अभिभाषक ने अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए अप्रार्थी पर न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस मावा बर्फी का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-standard) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया मावा बर्फी का नमूना जांच में अवमानक (Sub-standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के




1990


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर शास्ति रूपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.09.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।




(परशुराम खानिका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
टोंक
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0